रीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर
अपील नं. 74/2018 किस्म 223 आर.टी.एक्ट.
बअनवान दुर्गाराम बनाम भैराराम

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

24.03.2021

पीठासीन अधिकारीः– श्री अरविन्द कुमार जाखड़ आर.ए.एस.

उपस्थितः–1. श्री नारायण कुमावत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2.श्री चैनाराम सारण अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 05.04.2021

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./74/2018/बाड़मेर

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 223 विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 71/2006 बअनवान भैराराम बनाम गोमाराम वगै. में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.02.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 की संयुक्त खातेदारी व मालिकाना अधिकारों की भूमि मौजा मूढणों की ढाणी, सरणू में खेत खसरा संख्या 10 रकबा 266.06 बीघा व खसरा संख्या 374/11 रकबा 75.16 बीघा भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण की ढाणियां, पानी के टांके व चारबाड़े आदि भी अपने–अपने कब्जे के हिसाब से बने हुए है व प्रतिवादी अपने अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करते है। वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 10 में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 से 07 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 08 का 1/4 हिस्सा है तथा शेष खसरा संख्या 374/11 रकबा 75.16 बीघा में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 से 07 का भी 1/3 हिस्सा है तथा उक्त अनुसार ही खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु एक वाद विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही वादी/रेस्पोडेंट की एकतरफा साक्ष्य के आधार पर अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित नहीं की गई जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष ने बहस करते हुए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड करने पर सहमति जाहिर की तथा सहमति स्वरूप न्यायालय की आदेषिका पर हस्ताक्षर किये।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर कोई आपति नहीं होने से हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

उभयपक्ष की उपस्थिति एवं आपसी समझाईश के फलस्वरूप लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पेश अपील को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 71/2006 बअनवान भैराराम बनाम गोमाराम वगै. में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.02.2017 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 05.04.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर